दिनांकः 26.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तग को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 02 वारन्टी अभियुक्तगण **1.जहांगीर हसन पुत्र वजीर हसन प्रो मै0 अंसारी इन्टरप्राइजेज निवासी याईयाशह मकान न0 311/2 पक्का बाग थाना मंडी जिला सहारनपुर को सम्बन्धित परिवाद सं0 25660/22 धारा 138 एनआईएक्ट एक्ट चालानी थाना जनकपुरी सहारनपुर को उसके घर के पास से एवं 2. शाहिद रसूल पुत्र जियाउलहक निवासी म0नं0-10/874 शाहबेलोल ,टोपिया सराय थाना मंडी जिला सहारनपुर को सम्बन्धित परिवाद सं0 2268/22 धारा 138 एनआईएक्ट एक्ट चालानी थाना मण्डी सहरनपुर शाहबेलोल ,टोपिया सराय से गिरफ्तार** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जहांगीर हसन पुत्र वजीर हसन प्रो मै0 अंसारी इन्टरप्राइजेज निवासी याईयाशह म0न0 311/2 पक्का बाग थाना मंडी जिला सहारनपुर

2. शाहिद रसूल पुत्र जियाउलहक निवासी म0नं0-10/874 शाहबेलोल ,टोपिया सराय थाना मंडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 26.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा कच्ची शराब बनाने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब एंव कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे नशीले पदार्थ एंव अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 26.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा कच्ची शराब बनाने वाले शातिर **अभियुक्त काला उर्फ यशपाल पुत्र रूल्ला निवासी घाटेड़ा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को** ग्राम घाटेडा के पास से कच्ची शराब निकालते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब, 100 लीटर लाहन व कच्ची शराब बनाने के उपकरण(भट्टी, 01 कैन व 01 पतीला) बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ।कच्ची शराब बनाकर आस पास के क्षेत्र में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

काला उर्फ यशपाल पुत्र रूल्ला निवासी घाटेड़ा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 12 लीटर कच्ची शराब मय कच्ची शराब बनाने के उपकरण (भट्टी, 01 कैन व 01 पतीला)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आनन्दपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3.है0का0 1068 दीपक मान थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. का0 1887 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

दिनांकः 26.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 52 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे नशीले पदार्थ एंव अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 26.12.2024 को गस्त/चैकिंग के दौरान थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले **02 शातिर अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को टपरी बाईपास के पास से एंव साकिब पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को यमुनानगर हाईवे अण्डरपास के पास** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुत्र विजयपाल के कब्जे से 26 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का व अभियुक्त साकिब पुत्र मुस्तकीम के कब्जे से 24 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ करने पर दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया गया कि हम दोनो कम पढे लिखे हैं। हम दोनो हरियाणा राज्य से देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर अस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सोनू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. से साकिब पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- अभियुक्त सोनू उपरोक्त से 26 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का
- अभियुक्त साकिब उपरोक्त के कब्जे से 24 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. है0का0 975 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिलाओ पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा राह चलती महिलाओ पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले एक अभियुक्त **शान मौहम्मद उर्फ पप्पू पुत्र अशरफ मौहम्मद निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला कानून गोयान भारी अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 301/24 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शान मौहम्मद उर्फ पप्पू पुत्र अशरफ मौहम्मद निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर

2.म0उ0नि0 भावना थाना नानौता जनपद सहारनपुर

3. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः26.12.202 -4

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 रिक्शा-ईव ग्राम अवैध चरस 140बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक को वादी रईस पुत्र हनीफ निवासी बेहट रोड 23.12.24, हकीमपुरा,बाबर कालोनी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईरिक्शा चोरी कर - ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 488/24 धारा (2)303भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध ,की रोकथाम व वांछितशातिर /वारण्टी/ अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक खबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के को मु 26.12.2024 दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करतेहुए /शातिर चोर 01**अभियुक्त सुनील उर्फ सुशील पुत्र मेवाराम निनगर मूल पता चकहरेटी थाना 0हाल पता गांधी कालोनी थाना सिविल लाईन्स मु 0 जनकपुरी जिला सहारनपुर** को रोड तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के फुटा 62 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। अवैध चरस की 140 चोरी की गई ई रिक्शा एवं कुल 01 कब्जे से एनडीपीएस एक्ट में 20/8 धारा 2024/ 493 0सं0अ0बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु न्यायालय के 0के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया यह ईरिक्शा मेंने व मेरे- एक अन्य साथी ने दि 0 को हनुमान नगर चौक से शाम के समय चोरी की थी 19.12.24,तथा छुपा कर खडी कर दिया था आज हम दोनो इसकी बैटरी निकाल कर बेचेने के लिये आये थे, मेरा साथी अपने हिस्स की दो बैटरी निकाल कर कहीं बेचने के लिये ले गया है तथा मैं इस चरस को किसी पीने वाले राहगीर को बेचने के लिय रुक गया था तभी आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील उर्फ सुशील पुत्र मेवाराम निनगर मूल पता 0हाल पता गांधी कालोनी थाना सिविल लाईन्स मु 0 चकहरेटी थाना जनकपुरी जिलासहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- ई रिक्शा 01

➢ ग्राम अवैध चरस 140

अभियुक्त सुनील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 0वि0द0भा 307,34 धारा 2022/99 0सं0अ0
2. मुथाना कोतवाली नगर सहारनपुर 0वि0द0भा 414 धारा 2022/100 0सं0अ0
3. मुआर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 25/4 धारा 2022/103 0सं0अ0
4. मुआर्मस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर 25/4 धारा 2018/46 0सं0अ0
5. मुथाना जनकपुरी सहारनपुर आर्मस एक्ट 25/4 धारा 2017/073 0सं0अ0
6. मुथाना जनकपुरी सहारनपुर 0वि0द0भा 411/379 धारा 2018/247 0सं0अ0
7. मु 3/2 धारा 2018/366 0सं0अ0उथाना 0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि 0प्र0 जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

.1उ श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर 0नि0
.2उश्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर 0नि0
.3हैकमल कौशिक थाना कोतव 02 0का0ाली मण्डी जनपद सहारनपुर
.4है राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर 100 0का0
.5कापंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर अंकित 1460 0

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.12. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र दो घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 26.12.2024 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र राजपाल निवासी मौहल्ला नवीननगर वार्ड क्षेत्रीय सुपर वाईजर 33 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा हसनपुर तालाबह अमृत पार्क से नगर निगम द्वारा बनाये गये शौचालय से पानी की मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 751/24 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु सम्बन्धित को आदेश निर्देश दिए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभियुक्त ईशु सैनी उर्फ विशु पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम हसनपुर लौहारी टाण्डा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता अनुपम बिहार कालौनी किराये दार नेगी का मकान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को शाकुम्भरी विहार छिदबना मोड से आगे आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी गये पानी की मोटर बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि मैं पानी की मोटर अमृत पार्क हसनपुर तालाब मे बने शौचालय से पांच छः रोज पहले चोरी की थी। आज मै इसे पुलिस से बचते बचाते हुए कबाडी के यहां बेचने के लिये ले जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ईशु सैनी उर्फ विशु पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम हसनपुर लौहारी टाण्डा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता अनुपम बिहार कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त ईशु सैनी उर्फ विशू का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 20/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण -

- 01 पानी की मोटर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2459 पवन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. हौ0गा0 2099 शेरपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 26.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 पव्वें अवैध अग्रेजी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसके कारोवार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तरी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2024 को चैकिंग/गस्त के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आरिफ पुत्र शमशाद निवासी छप्पर वाली मस्जिद के पासनगर 0नूर बस्ती थाना को , सहारनपुर** को ढमोला पुल शान्ति नगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 40 पव्वे **अंग्रेजी शराब मार्का हरियाणा** के बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 305/24 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने बताया कि मैं हरियाणा से सस्ते दाम में शराब खरीदकर यहाँ पर लाकर आस पास के क्षेत्र में मुनाफे पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे आमदनी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र शमशाद निवासी छप्पर वाली मस्जिद के पासनगर स0नूर बस्ती थाना को ,हारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- पव्वे 40अंग्रेजी शराब मार्का हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. कां0 1342 कपिल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 26.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र में लूट की घटना कारित करने वाले 01 घायल सहित 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह/कारतूस, 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल, लूटे गये 5,370/- रूपये नकद, 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 26.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 26.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक नकुड़ मय फोर्स के साथ अंबहेटा से खेड़ा अफगान जाने वाले मार्ग पर याकूबपूर की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे। तभी अंबहेटा की तरफ से एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के आते दिखाई दी ।पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों को रूकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा बाइक को वापस मोड़कर अंबहेटा की तरफ भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा बदमाशो को पीछा गया। तभी कुछ दुरी पर जाकर बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर राधा स्वामी सत्संग के सामने आम के बाग में भागने का प्रयास करने लगे ।पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया एंव एक अन्य बमदमाश को पुलिस टीम द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ लिया गया। ।घायल बदमाश की पहचान जुनैद पुत्र इकबाल निवासी खैरसाल थाना गंगोह,सहारनपुर के रुप मे हुई है। घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। दूसरे बदमाश की पहचान इस्तकार पुत्र इकबाल निवासी खैरसाल थाना गंगोह, सहारनपुर के रुप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 01 खोखा / 06 जिंदा कारतूस,01 मोटरसाइकल स्पलैण्टर बिना नंबर प्लेट, 5,370/- रुपये नगद एंव कस्बा अंबहेटा,सहारनपुर के जनसेवा केंद्र में हुई लूट के संबंध में लूटा गया 01 मोबाईल फोन बरामद हुए। ।गिरफ्तार अभियुक्तगण **थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 441/24 धारा 309(4) बीएनएस** के वांछित अभियुक्तगण है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0- 441/24 धारा 109/3(5)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम दोनों मजदूरी का कार्य करते हैं। पैसो के लालच में हम दोनों ने अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 21.12.2024 को रात्रि में 08.00 बजे कस्बा अम्बेहटापीर में स्थित साईबर कैफे/जनसेवा केन्द्र में लूट की थी। घटना कारित करने के बाद हम लोग भाग गये थे तथा घटना में हमने करीब सवा लाख रूपये व तीन मोबाईल फोन लूट लिये थे। लूटे हुए रूपये को हमने आपस मे बाँट लिये था। अभियुक्त जुनैद ने बताया कि मेरे हिस्से में करीब 5 हजार रूपये व रीयलमी कम्पनी का मोबाईल फोन आया था जिसमें से मुझसे करीब 1450 रूपये खर्च हो गये तथा जो 3650 रूपये और रीयलमी मोबाईल मुझसे पुलिस ने बरामद किया है वो उसी घटना के है तथा अभियुक्त इस्तकार ने बताया कि मेरे हिस्से में कुल 4

हजार रूपये आये थे जिसमे से कुछ रूपये मैनें खर्च कर दिये थे और शेष बचे 1720 रूपये जो आपने मुझसे बरामद किये हैं ये उसी घटना के हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जुनैद पुत्र इकबाल निवासी खैरसाल थाना गंगोह,जनपद सहारनपुर।
2. इस्तकार पुत्र इकबाल निवासी खैरसाल थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल
- 02 देशी तमंचे 315 बोर
- 06 जिन्दा/01खोखा कारतूस315 बोर
- 01 मोबाईल फोन रीयलमी कम्पनी
- 5370/- रुपये नगद

अभियुक्त इस्तकार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 463/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 320 तरुण गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 348 कुलदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. है0कां0 464 प्रवेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर